

MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY

Transport Nagar, Saharanpur Road, Dehradun. 248 001 Uttarakhand

APPLICATION FORM

Form No

For Registration of Duplex House First Come First Serve

1- Scheme name: Sahastradhara Housing
Scheme, Sahastradhara Road, D.dun

Self attested
passport size
photograph of
applicant

2- Duplex Category

3- Duplex Number

D-36

4- Name

Mr/Ms/Messrs):

(First or Joint App):

5- Address for
Correspondence:

Pin code

6- Annual Income

7- Age

8-sex

9- Marital Status-

10- Father's/ Husband's Name:

11- Permanent Address:

12- Bank Name, Branch
& A/C No.

13- Pan Card No

14: Mobile No

15- Deposit Amount Rs.....Bank.....

16- Email

Signature of Applicant (s)

फार्म फीस रू 590/- (जीएसटी सहित)

सहस्त्रधारा डूपलैक्स आवास योजना के अन्तर्गत नियम एवं शर्तें।

1. सहस्त्रधारा आवासीय योजना में 01 डूपलैक्स आवास का आवंटन पहले आओ पहले पाओ पद्धति के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. यदि आप योजना में डूपलैक्स आवास लेने के इच्छुक हों तो योजना में आवासीय स्थल निरीक्षण कर आवेदन कर सकते हैं।
3. पंजीकरण के साथ डूपलैक्स आवास की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, एमडीडीए के पक्ष में जमा करानी होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	डूपलैक्स संख्या	प्लॉट एरिया (वर्गमीटर में)	डूपलैक्स की लागत	फ्रीहोल्ड शुल्क (भूमि मूल्य का 10+2=12प्रतिशत)	10 प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	36	255.84	1,07,19,515 /-	9,38,217 /-	10,71,952 /-

4. आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवास की अवशेष देय धनराशि के अतिरिक्त भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट व 02 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सारणी 5 में अंकित धनराशि के साथ समस्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। 01 माह के अन्दर समस्त देय धनराशि जमा न करने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
5. पंजीकरण आवेदन परिवार के एकल सदस्य अथवा संयुक्त रूप से किया जा सकता है।
6. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय डूपलैक्स आवास के कब्जे के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
7. डूपलैक्स आवास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मान्य नहीं होगा।
8. आवंटी को आवंटित डूपलैक्स आवास को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया जायेगा। किन्तु फ्री होल्ड रजिस्ट्री से पूर्व प्रथम अधिकार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।
9. डूपलैक्स आवास का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त आवास की देखभाल एवं अनुरक्षण का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा।
10. आवंटित डूपलैक्स में विद्युत एवं जल संयोजन का कनेक्शन आवंटी को स्वयं कराना होगा।
11. आवंटन पश्चात किसी आवंटी के मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसों के नाम पर नियमानुसार वारिसान प्रमाण पत्र/उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नामान्तरण किया जा सकेगा।
12. डूपलैक्स आवास की रजिस्ट्री फ्रीहोल्ड हेतु नियमानुसार स्टाम्प तथा रजिस्ट्री प्रभार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
13. प्राधिकरण की बेवसाईट mddaonline.in पर डूपलैक्स आवास से सम्बन्धित समस्त जानकारी उपलब्ध है।

नोट- सम्पत्ति का मूल्य 50.00 लाख या उससे अधिक की राशि पर 01 प्रतिशत TDS राशि जमा कराने का प्राविधान है, को आवेदक द्वारा स्वयं ही प्राधिकरण के पेन नम्बर **AAAAM4651Q** में जमा कराकर स्टेटमेन्ट/चालान की प्रति उपलब्ध करानी होगी तथा आवास की अवशेष धनराशि को उक्तानुसार प्राधिकरण में जमा करानी होगी।

शपथ पत्र

सहस्त्रधारा आवासीय योजना, देहरादून।

(निम्नलिखित शपथपत्र रू0 10/-के स्टाम्प पत्र पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर पंजीकरण फार्म के साथ जमा कराना होगा।)

समक्ष- सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी
..... निम्नलिखित शपथ लेता/लेती हूँ।

- 1- मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी व अवयस्क बच्चों या आश्रित बच्चों) के द्वारा सहस्त्रधारा आवासीय योजना में डूपलेक्स आवास हेतु पंजीकरण कराया गया है।
- 2- मेरी आयु दिनांककोवर्ष है, एवं मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
- 3- मेरी /मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2019-20 में रू0 है।
- 4- मैंने आवेदन पत्र के साथ ही उल्लिखित शर्तों आदि को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं उनके पालन के लिए बचनबद्ध हूँ।
- 5- मेरे द्वारा आवंटित सम्पत्ति का भू- उपयोग परिवर्तित नहीं किया जायेगा। आवंटित सम्पत्ति उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लायी जायेगी जिसके लिए आवंटित की जायेगी।
- 6- मुझे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-भाग/भवन/डूपलैक्स के लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने की सभी शर्तें व नियम मान्य हैं।
- 7- मैं/हम समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण नियमानुसार आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमारे का कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 9- वाद विवाद हेतु देहरादून स्थित न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा जिसके लिये आवेदक/आवंटी बचनबद्ध होगा।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर

धोषणा:- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 1 से 9 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी सत्य छिपाया नहीं गया है।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।**

पत्रांक 848/सम्पति—सहस्त्रधारा/2020

दिनांक 5.2.2020

विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की सहस्त्रधारा आवासीय योजना में 01 रिक्त डूपलैक्स आवास संख्या **D-36** के आवंटन हेतु पहले आओ पहले पर पंजीकरण आमंत्रित किये जाते हैं। अधिक जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट mddaonline.in पर उपलब्ध है। तथा पंजीकरण फार्म प्राधिकरण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में रू0-590/-(GSTसहित) जमा करते हुए प्राप्त किये जा सकते हैं।

सचिव,